

Ref. No. CGTMSE /44/296

मार्च March 31, 2023

**सभी पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां**

All Eligible Scheduled Commercial Banks and
Non-Banking Financial Companies

परिपत्र संख्या 223 / 2022 – 23

Circular No.223 / 2022 – 23

महोदया/ प्रिय महोदय Madam / Dear Sir,

सीजीएससीएल के तहत वार्षिक गारंटी शुल्क संरचना में संशोधन

Modification in Annual Guarantee Fee Structure under CGSCL

कृपया 25 फरवरी 2022 के हमारे परिपत्र संख्या 196/2021-22 का संदर्भ लें, जिसमें सह-उधार के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएससीएल) की शुरुआत की घोषणा की गई थी। इस संबंध में, सीजीएससीएल के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) को सीजीएस-1 के तहत बैंकों को प्रभारित दरों के बराबर लाने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, सीजीएससीएल के तहत संशोधित शुल्क संरचना नीचे दी गई है:

Please refer to our Circular No. 196/2021-22 dated February 25, 2022 announcing launch of Credit Guarantee Scheme for Co-Lending (CGSCL). In this connection, it has been decided to bring the AGF for CGSCL at par with the rates charged to the banks under CGS-I. Accordingly, the revised fee structure under CGSCL is given below:

स्लैब Slab	मानक दर Standard Rate (SR)*
0-10 लाख 0-10 lakh	0.37
10 लाख से 50 लाख तक	0.55



Above 10 lakh upto 50 lakh	
50 लाख से अधिक 1 करोड़ तक Above 50 lakh upto 1 crore	0.60
1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ तक Above 1 crore upto 2 crore	1.20
<p>* वार्षिक गारंटी शुल्क को पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि और क्रेडिट सुविधा के शेष कार्यकाल के लिए बकाया राशि पर लिया जाएगा।</p> <p>*AGF will be charged on the guaranteed amount for the first year and on the outstanding amount for the remaining tenure of the credit facility.</p>	

योजना के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

All other Terms & Conditions of the Scheme shall remain unchanged.

कृपया अपने सभी कार्यालयों को इस परिपत्र की विषयवस्तु से अवगत कराएँ।

The contents of this circular may please be brought to the notice of all your offices.

भवदीय Yours faithfully,

ह/Sd/-

(धीरज कुमार Dhiraj Kumar)

सहायक महाप्रबंधक

Asst General Manager